न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, किशनगढबास जिला–खैरथल–तिजारा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : जगदीश प्रसाद मीना,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या : 24/2025
(CIS No- Sessions/ 44 /2025)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. : 410/2019, पुलिस थाना किशनगढबास,

राजस्थान राज्य बनाम राकेश वगैरह

''अपराध अंतर्गत धारा –110 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट''

भाग– प्रथम

A

परिवादी	देशराज पुत्र मामचंद निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. राकेश पुत्र श्यामलाल उम्र 20 वर्ष निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। 2. सचिन पुत्र दयाराम उम्र 22 वर्ष निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। 3. पतराम पुत्र गोरी सहाय उम्र 40 वर्ष निवासी चेचिया की ढाणी हमीरपुर पुलिस थाना हरसौरा जिला कोटपूतली–बहरोड। **......अभियुक्तगण**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अब्दूल कलाम, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	02.06.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.06.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	25.11.2025
आरोप पृथक से सुनाये जाने की दिनांक	13.02.2026
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	26.02.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.06.2026
निर्णय दिनांक	18.06.2026
अन्तिम निर्णय	दोषमुक्त

C

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	राकेश	26.09.2025	16.02.2026	110 बीएनएस	दोषमुक्त		139 दिन
2.	सचिन	26.09.2025	16.02.2026	110 बीएनएस	दोषमुक्त		139 दिन
3.	पतराम	30.09.2025	16.02.2026	110 बीएनएस	दोषमुक्त		139 दिन

भाग–द्वितीय

अ– अभियोजन गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	मनीष	मजरूब
पी.डब्ल्यू 2	दिलफुल	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सचिन व राकेश
पी.डब्ल्यू 3	विनोद	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पतराम
पी.डब्ल्यू 4	मुकेश	अनुसंधान साक्षी
पी.डब्ल्यू 5	नेमीसिंह	अनुसंधान साक्षी
पी.डब्ल्यू 6	सुबेसिंह	तात्विक साक्षी
पी.डब्ल्यू 7	धोलाराम	तात्विक साक्षी
पी.डब्ल्यू 8	विक्रम	तात्विक साक्षी
पी.डब्ल्यू 9	हेमकरण	तात्विक साक्षी
पी.डब्ल्यू 10	हेमसिंह	तात्विक साक्षी
पी.डब्ल्यू 11	अजय कुमार	तात्विक साक्षी
पी.डब्ल्यू 12	कृष्ण चंद	मालखाना प्रभारी
पी.डब्ल्यू 13	लोकेश	अनुसंधान साक्षी
पी.डब्ल्यू 14	डॉ दीपक चौधरी	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्ल्यू 15	भीमसिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 16	रामपत	चश्मदीद साक्षी

पी.डब्ल्यू 17	देशराज	परिवादी

ब— बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
——	——	————

स— न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
——	——	————

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ— अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी—1	पुलिस बयान मनीष अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी—2 व 3	मजरूब मनीष के फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी—4 व 5	राजीनामा
प्रदर्श पी—6	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब मनीष
प्रदर्श पी—7	एक्सरे रिपोर्ट मजरूब मनीष
प्रदर्श पी—8	एक्सरे प्लेट मजरूब मनीष
प्रदर्श पी—9	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राकेश
प्रदर्श पी—10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सचिन
प्रदर्श पी—11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पतराम
प्रदर्श पी—12	फर्द जब्ती मोबाईल
प्रदर्श पी—13	फर्द जब्ती लौहे का सरिया
प्रदर्श पी—14	फर्द जब्ती बांस की लाठी
प्रदर्श पी—15	फर्द बरामदगी नक्शा मौका अभियुक्त राकेश एव सचिन
प्रदर्श पी—16	पुलिस बयान सुबेसिंह अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी—17	पुलिस बयान धोलाराम अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी—18	पुलिस बयान विक्रम अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस

प्रदर्श पी–19	पुलिस बयान हेमकरण अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी–20	नक्शामौका घटनास्थल
प्रदर्श पी–21	पुलिस बयान हेमसिंह अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी–22	पुलिस बयान अजय अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी–23ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी–24	फर्द जब्ती बोलेरो गाडी
प्रदर्श पी–25	फर्द तस्दीक नक्शामौका अभियुक्त राकेश
प्रदर्श पी–26	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी–26	चाक एफआईआर 124/25 पुलिस थाना हरसौरा
प्रदर्श पी–27	चाक एफआईआर 228/25 पुलिस थाना किशनगढबास
प्रदर्श पी–27	फर्द जब्ती देशी कट्टा
प्रदर्श पी–28	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी–29	चार्ज शीट एफआईआर संख्या 124/25 पुलिस थाना हरसौरा
प्रदर्श पी–30	अभियुक्त राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी–31	अभियुक्त सचिन का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी–32	अभियुक्त पतराम का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी–33	अभियोजन स्वीकृति
प्रदर्श पी–33	फर्द इत्तला अभियुक्त पतराम देशी क्टटा
प्रदर्श पी–34	फर्द इत्तला अभियुक्त राकेश बोलेरो गाडी
प्रदर्श पी–35	फर्द इत्तला अभियुक्त सचिन देशी कट्टा
प्रदर्श पी–36	फर्द इत्तला अभियुक्त राकेश लाठी
प्रदर्श पी–37	फर्द इत्तला अभियुक्त सचिन लाठी
प्रदर्श पी–38 लगायत 44	अनुसंधान अधिकारी भीमसिंह द्वारा जारी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी–45	चार्जशीट

ब– बचाव प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
————	———निल————

स– न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
————	———निल————

द– भौतिक वस्तुएं

प्रदर्श नम्बर	विवरण
————	———निल————

–: निर्णय :– **दिनांक : – 18.06.2026**

01. प्रस्तुत सेशन प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं किपरिवादी देशराज ने तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना किशनगढबास में इस आशय की दर्ज करायी कि :–

"दिनांक 02.06.2025 को सांय करीब 6 बजे की घटना है। उसका भाई मनीष खेत में बिजली के टूटे हुए तार को जोडने के लिए गया था तो मुलजिमान वीर सिंह, राकेश, संदीप, सचिन, कुलदीप निवासी कांकरा एवं इनका रिश्तेदार पतराम निवासी किशोपुरा के बोलेरो गाडी नम्बर आर.जे. 32 यूए 7414 में उसके भाई की हत्या करने के इरादे से हाथों में लोहे की रोड, धारदार हथियार एवं पिस्टल से लैस होकर खेत पर पहुंच गये। उसका भाई वहां पर तार जोड रहा था तो इन लोगों ने अचानक उसके उपर उसको जान से खत्म करने के उद्देश्य से ताबडतोड़ लोहे की रोड से हमला कर दिया उसको जमीन पर गिरा कर कमर के नीचे के हिस्से पर सभी ने लोहे की रोडों से इतने प्रहार किये कि उसके शरीर के नीचे का हिस्सा टांग, पैर, जांघ पुरी तरह से फ्रैक्चर कर दिये और राकेश ने पिस्टल उसके भाई के सिर पर तान दी और सचिन ने कट्टा लगाया तथा पिस्टल से फायरिंग भी की। उसके भाई को इन लोगेां ने इतनी निर्ममता से मारपीट की कि उसके नीचे का हिस्सा सारा खत्म कर दिया और उसके गले से सोने की चैन, सोने की अगूंठी, जेब में से उसके पास 35,000/– रूपये नकद छीन लिये और मोबाइल तोड दिया.......... आदि।"

02. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर–228/2025 पुलिस थाना किशनगढबास अन्तर्गत धारा– 189(2), 115(2), 126(2), 303(2) बी.एन.एस में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण राकेश व सचिन के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 303(2), 110 बी.एन.एस तथा अभियुक्त पतराम के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 303(2), 110 बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट में चार्जशीट न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1 किशनगढबास में दिनांक 27.11.2025 को पेश करने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण राकेश व सचिन को धारा 110 बी.एन.एस तथा अभियुक्त पतराम को धारा 110 बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत

आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए निर्णय के पृष्ठ संख्या 2, 3 व 4 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान पी.ड.1 लगायत पी.ड. 17 के बयान लेखबद्ध करवाये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–45 प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य व फर्दात को गलत होना बताया। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में किसी प्रकार का गवाह परीक्षित नहीं करवाया गया।

06. बहस उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

07. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं :–

(1) " क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 02.06.2025 को समय करीब 06.00 पीएम पर वाके ग्राम कांकरा, किशनगढबासमें सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में लौहे के धारदार हथियारों से सुससज्जित होकर मजरूब मनीष का वध कारित करने के आशय से उसके शरीर के नीचे के हिस्से पैर व जांघ में लौहे की रोड से मारपीट कर अस्थिभंग कारित करते हुए आपराधिक मानव वध का प्रयास किया एवं अभियुक्त पतराम के कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुए जिसे अपने पास रखने का कोई अनुज्ञा पत्र उसके पास नहीं था ?

(2) "यदि अपराध साबित हुआ तो उपर्युक्त सजा क्या होगी" ?

(110 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट)

08. विद्वान अपर लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधो के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पीड.1 लगायत पीड–17 की मौखिक साक्ष्य एवं प्रदर्श–पी0–1 लगायत प्रदर्श–पी0–45 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जिसके समग्र विवेचन विश्लेषण से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे

प्रमाणित है, लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है ।

09. <u>जबकि</u> विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने घटनादिवस को मजरूब मनीष के साथ कोई मारपीट नहीं की। मजरूब स्वयं अपने मोटरसाईकिल से गिर गया था और उसने अभियुक्तगण को फंसाने के लिए जानबूझकर उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना बताते हुए पुलिस से मिलकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया है जबकि घटनादिवस को अभियुक्तगण मौके पर मौजूद नहीं थे। उनका यह भी कहना रहा है कि मजरूब पी.ड–1 मनीष एवं परिवादी पी.ड–17 देशराज ने भी अभियुक्तगण द्वारा मनीष के साथ मारपीट किया जाना अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है और उक्त दोनों ही साक्षी अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुए है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से जिन चश्मदीद साक्षियान को पेश कर परीक्षित कराया गया है उन्होंने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है और किसी भी साक्षी ने अपने बयानों में अभियुक्तगण को मनीष के साथ मारपीट करते हुए देखना नहीं बताया है। साथ ही उनका यह भी कहना रहा है कि अभियुक्त पतराम से कोई देशी कट्टा भी बरामद नहीं हुआ है और अभियुक्त पतराम के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में अभियोजन चलाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति भी पेश कर प्रदर्शित नहीं करायी गयी है। अभियुक्त पतराम के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप भी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से आरोपित अपराधों के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है उसके विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

10. सुना गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आरोपित अपराध के संबंध में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. हस्तगत प्रकरण के संबंध में गवाह पी.ड–17 देशराज परिवादी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 पुलिस थाना किशनगढबास में दर्ज करायी गयी है

जिसमें यह तथ्य अंकित हो रहे है कि– *''दिनांक 02.06.2025 को समय करीब 6 बजे उसका भाई मनीष खेत में बिजली के टूटे हुए तार को जोडने के लिए गया था तो मुलजिमान वीरसिंह, राकेश, संदीप, सचिन, कुलदीप, पतराम व अन्य बोलेरो गाडी नंबर आरजे 32 यूए 7414 में उसके भाई की हत्या करने के इरादे से हाथों में लौहे की रोड, धारदार हथियार पिस्टल से लेस होकर खेत पर पहुंचे और अचानक ही इन्होंने उसके भाई पर ताबडतोड लौहे की रोड से हमला कर दिया जिससे उसके शरीर के नीचे के हिस्से में फ्रेक्चर आ गया। राकेश ने उसके भाई के सिर पर पिस्टल तान दी। सचिन ने कट्टा लगाया और पिस्टल से फायर की। घटना के वक्त वहीं पर खेत में उसका चाचा रामपत काम कर रहा था जिसे पता लगा तो वह दौडकर आया और सभी मुलजिमान बोलेरो में बैठकर फरार हो गये।''*

12. इस प्रकार तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त अभियुक्तगण द्वारा मजरूब मनीष के साथ लौहे की रोड से मारपीट करना एवं उसके सिर पर कट्टा लगाया जाना और इस घटना को परिवादी के चाचा रामपत द्वारा देखा जाना बताया गया है। इस संबंध में यदि पी.ड–17 देशराज परिवादी की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यह अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि उसका भाई मोटरसाईकिल से गिरने से चोटिल हो गया था। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना किशनगढबास में दी थी जो प्रदर्श पी–26 होना, पुलिस द्वारा उसके समक्ष घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–20 बनाना और इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–46 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। यह साक्षी अभियोजन की प्रार्थना पत्र पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिसने अपनी जिरह में कथन किया है कि तहरीरी रिपोर्ट पर उसके केवल हस्ताक्षर है। उसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 का ए से बी भाग दूसरो के कहने पर लिखा दिया था।

इस प्रकार इस प्रकरण के तात्विक साक्षी पी.ड–17 देशराज जोकि मजरूब मनीष का भाई है, ने उसके द्वारा इस घटना के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 में अंकित तथ्यों की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है और उसके द्वारा अपना पुलिस बयान प्रदर्श पी–46 में अंकित ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 का ए से बी भाग दूसरों के कहने से लिखा दिया जाना बताया है।

13. इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण एवं तात्विक साक्षी पी.ड–1 मनीष है जिसके साथ अभियुक्तगण द्वारा लौहे की रोड से मारपीट किया जाना बताया गया है। इस संबंध में यदि गवाह पी.ड–1 मनीष की साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किया जावे तो यह अपने मुख्य परीक्षण में बताता है कि वह दिनांक 02.06.2025 को शाम करीब 6 बजे के लगभग बिजली के तार जोडने गया था जब वह वापस आ रहा था तो उसकी मोटरसाईकिल स्लीप हो गयी जिससे वह पत्थर व सडक पर गिर गया जिससे उसके शरीर पर अनेक चोटें आयी। उसकी चोटो का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी–6 व एक्सरे रिपोट प्रदर्श पी–8 होना बताया है। साक्षी आगे यह कथन करता है कि उसके साथ किसी ने मारपीट नहीं की है। उसने बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पत्र पक्षद्रोही घोषित किया गया जिसने जिरह में कथन किया है कि वह वीरसिंह, राकेश, संदीप, सचिन व कुलदीप को जानता है ये लोग उसके गांव के ही रहने वाले है। उसने कहने सुनने पर एफआईआर में नाम लिखवा दिया था। साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी। उसके साथ राकेश, सचिन, एवं पतराम ने कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार गवाह पी.ड–1 मनीष ने भी उसके साथ तीनों अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने से साफ तौर पर इंकार किया है तथा उसके शरीर पर चोटे मोटरसाईकिल से पत्थर व सडक पर गिर जाने से आना बताया है तथा इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग भी पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है।

14. तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 में अंकित तथ्यों के अनुसार इस घटना को परिवादी के चाचा रामपत द्वारा देखा जाना बताया है। इस संबंध में इस घटना के एकमात्र चश्मदीद साक्षी पी.ड–16 रामपत की साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 07.06.2025 को वह अपने खेत में काम कर रहा था। उस दिन मनीष बिजली का तार जोडने आया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–45 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने नक्शामौका प्रदर्श पी–20 पर

ए से बी स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना रहा है कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। मनीष के चोट मोटरसाईकिल फिसलने से आयी थी। मुलजिमान ने कोई मारपीट नहीं की।

15. इस प्रकार इस घटना के महत्वपूर्ण व तात्विक साक्षियान पी.ड–17 देशराज परिवादी, पी.ड–1 मजरूब मनीष व घटना के चश्मदीद साक्षी पी.ड–16 रामपत ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 में अंकित तथ्यों व अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। सभी साक्षियान ने अपने–अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–45, प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–45 का भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है और मजरूब के शरीर पर चोटे उसके मोटरसाईकिल से फिसलने के कारण आना एवं अभियुक्तगण द्वारा मनीष के साथ घटना दिवस को कोई मारपीट नहीं किया जाना बताया है।

16. अभियोजन की ओर से गवाह पी.ड–6 सूबेसिंह, पी.ड–7 धोलाराम, पी.ड–8 विक्रम, पी.ड–9 हेमकरण, पी.ड–10 हेमसिंह, पी.ड–11 अजय सिंह को पेश कर परीक्षित कराया गया हैं। उपरोक्त समस्त साक्षियान ने अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है और उक्त सभी साक्षियान अभियोजन की प्रार्थना पत्र पक्षद्रोही घोषित हुए है और इन सभी साक्षियों ने अपने–अपने पुलिस बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस क्रमश प्रदर्श पी–16, 17, 18, 19, 21 व 22 का भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है और सभी साक्षियों ने बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि मनीष के साथ किसी भी मुलजिमान ने कोई मारपीट नहीं करी। मनीष के चोटे उसके मोटरसाईकिल से फिसलने के कारण आयी है। उपरोक्त साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने उक्त घटना अपनी आंखों से देखे जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है।

इस प्रकार इस घटना के उक्त महत्वपूर्ण साक्षियान पी.ड–6 सूबेसिंह, पी.ड–7 धोलाराम, पी.ड–8 विक्रम, पी.ड–9 हेमकरण, पी.ड–10 हेमसिंह, पी.ड–11 अजय सिंह अभियोजन की कोई मदद नहीं करते है और इन साक्षियों की साक्ष्य से तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 में अंकित तथ्य प्रमाणित माने जाने योग्य नहीं है।

17. अभियोजन की ओर से गवाह पी.ड–2 दिलफुल व पी.ड–3 विनोद को पेश कर परीक्षित कराया गया है जो अभियुक्तगण राकेश, सचिन व पतराम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–9, 10 व 11 के औपचारिक साक्षी है। गवाह पी.ड–4 मुकेश, पी.ड–5 नेमीसिंह फर्दजब्ती प्रदर्श पी–12 व प्रदर्श पी–13 तथा फर्द बरामदगी नक्शामौका प्रदर्श पी–15 के साक्षियान है जिन्होंने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि मजरूब द्वारा एक एंड्रोयल मोबाईल जरिये फर्द प्रदर्श पी–12, अभियुक्त राकेश की इत्तला पर एक लौहे का सरिया प्रदर्श पी–13, मुलजिमन सचिन की इत्तला पर एक बांस की लाठी जरिये फर्द प्रदर्श पी–14 जब्त की गयी व राकेश व सचिन से बरामदशुदा उक्त लौहे के सरिया तथा बांस की लाठी का नक्शामौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–15 होना बताया है।

दोनो साक्षी अपनी जिरह में यह स्वीकार करते है कि अभियुक्त राकेश व सचिन से हथियार बरामदगी का स्थल एक ही है जो खुला हुआ है और खाली प्लॉट है। बरामदगी स्थल के पास से चलता हुआ सडक मार्ग है। फर्द बरामदगी नक्शे पर कोई स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार गवाह पी.ड–4 मुकेश व पी.ड–5 नेमीसिंह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राकेश व सचिन की इत्तला पर जो लौहे का सरिया जरिये फर्द प्रदर्श पी–13 व बांस की लाठी प्रदर्श पी–14 बरामद की गयी थी वह स्थान खुला है व खाली प्लॉट है जिसके पास चलता हुआ सडक मार्ग है और उक्त फर्द जब्तियों के गवाह पी.ड–4 मुकेश व पी.ड–5 नेमीसिंह पुलिस कर्मी है तथा उक्त फर्द जब्तियों का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

18. गवाह पी.ड–12 कृष्णचंद मालखाना इंचार्ज है जिसने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 28.09.2025 को अनुसंधान अधिकारी ने मुकदमा संख्या 228/25 में रजिस्टर की मद संख्या 1212 में क्रमांक 1 लगायत 4 पर जब्त सामान को जमा कराया था। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–23ए हे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–23 में <u>जब्त लाठी व सरिया पर खून के निशान नहीं थे।</u>

गवाह पी.ड–13 लोकेश ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दी है कि उसके समक्ष दिनांक 01.10.2025 को एक बोलेरो गाडी नंबर आरजे 32 यूए 7414 को मुकदमा संख्या 228/25 में जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–24 होना व फर्द बरामदगी नक्शा मौका मुलजिम राकेश की निशादेही से

जरिये फर्द प्रदर्श पी–25 तैयार किया गया जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–24 व 25 पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह बात सही है कि बुलेरो खुले स्थान से जब्त की है।

19. गवाह पी.ड–14 डॉ दीपक चौधरी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने मजरूब मनीष कुमार पुत्र मामचंद के शरीर पर आई चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 तैयार करना, बाद एक्सरे रिपोर्ट उसकी राय प्रदर्श पी–7 होना, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–8 होना और मजरूब के शरीर पर 6 चोटे कारित होना जिनमे चोट संख्या 1 व 2 में फ्रेक्चर होना, मजरूब के आंतरिक अंगो पर कोई चोट नहीं पाया जाना, बाद एक्सरे चोट संख्या–1 व 2 गंभीर प्रकृति की तथा बाकी चोटें सामान्य प्रकृति की हेाना बताया है।

प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी–6 की सभी चोटे मोटरसाईकिल से फिसलने के कारण आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

चूंकि इस प्रकरण के मजरूब पी.ड–1 मनीष, पी.ड–17 देशराज, पी.ड–16 रामपत एवं अन्य चश्मदीद साक्षियों ने मजरूब मनीष के शरीर पर चोटें उसके मोटरसाईकिल से फिसलने के कारण आना अपनी साक्ष्य में बताया हैं एवं गवाह पी.ड–14 डॉ दीपक की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 में अंकित सभी चोटें मोटरसाईकिल से फिसलने के कारण आ सकती है।

इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.ड–15 भीमसिंह है जिसने दौराने अनुसंधान इस प्रकरण की महत्वपूर्ण फर्दात को गवाहान की उपस्थिति में बनाना और अभियुक्तगण के विरूद्ध बादअनुसंधान धारा 110 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र प्रदर्श पी–45 न्यायालय में पेश किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कथन रहा है कि घटनास्थल खुला स्थान जंगल है। घटनास्थल पर मोटरसाईकिल के टायरों के निशान थे, लेकिन चार पहिया वाहन के टायरों के निशान नहीं थे और कोई खाली फायरिंग का खोखा नहीं मिला। उसके अनुसंधान में आया कि मुलजिम और मजरूब के बीच में आपसी रूपयो का लेनदेन था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राकेश

और सचिन से जो सरिया और लाठी बरामद किये वो खुला स्थान है। आज उसे ध्यान नहीं है कि लाठी और सरिये पर कोई खून के अलामात हो। मजरूब मनीष के कोई फायर आर्म्स की चोट नहीं थी। मुलजिम पतराम से इस मुकदमे में कट्टे की बरामदगी नहीं की, क्योंकि कट्टा पुलिस थाना हरसौरा के मुकदमे में जब्त किया हुआ है।

20. इस प्रकार गवाह पी.ड–15 भीमसिंह अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त लोकेश व सचिन की इत्तलाओं के आधार पर जो बांस की लाठी व एक सरिया बरामद किया गया था वह बरामदगी स्थल खुला स्थान है। इस साक्षी की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटनास्थल पर मोटरसाईकिल के टायर के निशान थे लेकिन चार पहिया वाहन के टायरों के निशान नहीं थे और वहां पर कोई भी खाली खोखा नहीं पाया गया था और मनीष के शरीर पर कोई फायर आर्म की चोट नहीं पायी गयी थी।

चूंकि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये महत्वपूर्ण व चश्मदीद साक्षियान का यहीं कहना रहा है कि मनीष के शरीर पर चोट उसके मोटरसाईकिल के फिसल जाने के कारण आयी थी। गवाह पी.ड–15 भीमसिंह की साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि घटनास्थल पर मोटरसाईकिल के टायर के निशान पाये गये थे और वहां पर किसी चौपहिया वाहन के टायर के निशान नहीं थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 में अभियुक्तगण द्वारा बोलेरो गाडी से घटनास्थल पर आना बताया है व तहरीरी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि सचिन ने मनीष के कट्टा लगा दिया और फायर भी की जबकि पी.ड–15 भीमसिंह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटनास्थल पर खाली फायरिंग का खोखा नहीं पाया गया था और मजरूब मनीष के शरीर पर फायर आर्म की चोट कारित नहीं हुई थी तथा घटनास्थल पर किसी भी चौपहिया वाहन के टायर के निशान भी नहीं थे।

21. इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 110 बीएनएस के संबंध में अभियोजन की ओर से जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है उसके समग्र विवेचन व विश्लेषण से दिनांक 02.06.2025 को शाम करीब 6 बजे अभियुक्तगण द्वारा ग्राम कांकरा में सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में लौहे की रोड एवं पिस्टल से सुसज्जित होकर मजरूब मनीष का वध कारित करने के आशय से लौहे की रोड से मारपीट कर अस्थिभंग कारित

कर आपराधिक मानव वध के प्रयास का अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

अभियुक्त पतराम के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप भी पृथक से विरचित किया गया है लेकिन हस्तगत प्रकरण 228/25 में अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार का कोई कट्टा बरामद नही किया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण संख्या 228/25 में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त पतराम के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से अभियोजन स्वीकृति भी नही ली गयी है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–27 के साक्षियान प्रकाशचंद उपनिरीक्षक, सुभाषचंद व सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल को भी पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है। साथ ही प्रदर्श पी–33 को साबित नहीं कराया गया है जो पुलिस थाना हरसौरा के मुकदमा नंबर 124/2025 के दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पतराम के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। लिहाजा अभियुक्तगण राकेश व सचिन अपराध अंतर्गत धारा 110 बीएनएस व अभियुक्त पतराम अपराध अंर्तगत धारा 110 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

–:: आदेश ::–

22. परिणामतः अभियुक्तगण 1. राकेश पुत्र श्यामलाल उम्र 20 वर्ष निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा व 2. सचिन पुत्र दयाराम उम्र 22 वर्ष निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को अपराध अन्तर्गत धारा 110 बीएनएस तथा अभियुक्त 3. पतराम पुत्र गोरी सहाय उम्र 40 वर्ष निवासी चेचिया की ढाणी हमीरपुर पुलिस थाना हरसौरा जिला कोटपूतली–बहरोड को अपराध अंतर्गत धारा 110 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपों में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाये। अभियुक्तगण के हाजिरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो गाडी यदि सुपुर्दगी पर नहीं दी गयी हो तो बाद गुजरने मियाद अपील उक्त वाहन वाहनमालिक को लौटा दी जावे।

पूर्व में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा बादगुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे।

अभियुक्त धारा 437'ए' दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20–20 हजार रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक कराये, कि यदि 6 माह के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में अपील संस्थित होती है तो वह स्वयं उपस्थित हो जायेंगे।

(जगदीश प्रसाद मीना)

23. निर्णय आज दिनांक **18.06.2026** को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(जगदीश प्रसाद मीना)